कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 822 / 2021 / 10–11 / 2706 भोपाल, दिनांक 10/08/2021

प्रति,

श्री श्रवण कुमार वर्मा
उप वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः–वन मंडल छतरपुर के वन परिक्षेत्र बकस्वाहा के PF-280, 281, 284, 285, 286, 287, 296 & 302 के रकबा 382.131 हे. वनभूमि बण्डर डायमण्ड ओपन कास्ट पद्धति से हीरा उत्खनन हेतु –मेसर्स ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. को उपयोग पर देने बाबत्

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 8-04/2021-FC दिनांक 10 / 08 / 2021

—0—

कृपया आपने संदर्भित पत्र से माननीय प्रधानमंत्रीजी को लेख किये गये श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' पूर्व. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली का अभ्यावेदन पत्र दिनांक 24 / 05 / 2021 जो बण्डर डायमण्ड परियोजना रकबा 382.131 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में प्रभावित वृक्षों को नहीं कांटने से संबंधित है इस कार्यालय को आगामी कार्यवाही करने हेतु भेजा गया है।

उपरोक्त संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को मध्य प्रदेश खनिज साधन विभाग द्वारा वर्ष 2019 में 364 हेक्टेयर वनभूमि में एक लीज स्वीकृत की गई है। यह भूमि वनभूमि है। ऐस्सेल माईनिंग द्वारा इस भूमि में खनिज का उत्खनन करने हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव आनॅलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। पोर्टल क्र FP/MP/MIN/45288/2020 है।
2. इस कम्पनी द्वारा खनिज के लिये 364 हेक्टेयर के साथ–साथ क्षेत्र से बहने वाले एक नाले को डायवर्सन करने हेतु तथा पहुंच मार्ग हेतु 18 हेक्टेयर का वनभूमि का प्रत्यावर्तन चाहा गया है।
3. इस प्रकरण में कुल 215000 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। प्रकरण में लीज बाउण्ड्री के चारों तरफ 7.5 मीटर की पट्टी सेफ्टीजोन की पट्टी छोड़ी जावेगी इस पट्टी में लगभग 15000–16000 वृक्ष आवेंगे। अतः प्रस्ताव स्वीकृत होने पर 2 लाख वृक्ष काटने होंगे। यह 2 लाख वृक्ष 10 से 12 वर्ष की अवधि में कांटे जावेगे।
4. प्रस्ताव में कांटे जाने वाले वृक्षों के विरूद्ध 3.83 लाख पौधे रोपित किये जावेगे।
5. प्रस्तावित वन क्षेत्र किसी भी राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / ईको सेंसिटिव जोन का भाग नहीं है। प्रस्तावित वनक्षेत्र की पन्ना टाईगर रिजर्व की दूरी 51 कि.मी. है। प्रस्तावित वनक्षेत्र किसी भी वन्यप्राणी कॉरीडोर का हिस्सा भी नहीं है। इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने की अनुशंसा वन मण्डल अधिकारी, छतरपुर एवं मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर द्वारा भी की गई है। राज्य शासन द्वारा भी प्रस्ताव अनुमोदित करने की अनुशंसा की गई है।

6. प्रस्ताव स्वीकृत होने पर स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
7. वर्तमान में प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर विचारार्थ लंबित है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहेंगे।

10/8/2019

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल